<u>दिनांक 11.04.2023</u>

प्रार्थी/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब हुई। वाद पुकारा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंचम सिंह रावत न्यायालय में उपस्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंचम सिंह रावत द्व ारा कथन किया गया कि वह प्रस्तुत वाद में कारित अपराध स्वीकार करना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रस्तुत मामले में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र व अभियुक्त के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के बयान अंकित किये गये। अतः अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त साजिद को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 188 के अन्तर्गत रूपये 5,000/—(पॉच हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त 2 दिन का साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा की गयी।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार विनष्ट की जाए।

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।